# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

**प्रार्थना पत्र संख्याः 146 / 2019**

मेन्टर होम लोन्स इण्डिया लि0 पूर्व में (मेन्टर इण्डिया लि0) प्रधान कार्यालय मेन्टर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर ..................**प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर**

**बनाम**

(1). श्री भैरू लाल रोडा पुत्र श्री छोटु लाल भाम्बी
(2). श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री छोटु लाल भाम्बी
(3) श्री छोटु लाल भाम्बी पुत्र श्री हरनाथ
निवासीगणः— प्लाट नम्बर 25, ग्राम व ग्राम पंचायत प्रान्हेडा, पंचायत समिति केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
(3). श्री राजेन्द्र साधु पुत्र श्री किशन गोपाल
निवासीः— प्लाट नं0 32 सीता राम मंदिर, ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
...............**अप्रार्थीगण / ऋणी**

**प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002**

उपस्थित :— सुरज शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

**आदेश** **दिनांक 01.10.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 03 को दिनांक 18.08.2017 को रू. 03,25,000 / — (अक्षरे तीन लाख पच्चीस हजार रूपये) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम व ग्राम पंचायत प्रान्हेडा, पंचायत समिति केकडी, जिला अजमेर स्थित पट्टा नं0 25 की सम्पति जिसका क्षैत्रफल 80.01 वर्गगज है, जो श्रीमती कमला पत्नि छोटु लाल भाम्बी के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 10.10.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 10.06.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 5,57,451 / — (अक्षरे पॉच लाख सत्तावन हजार चार सौ इक्यावन रूपये) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर
(मुहर: जिला मजिस्ट्रेट अजमेर)

Scanned by CamScanner

नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम व ग्राम पंचायत प्रान्हेडा, पंचायत समिति केकडी, तहसील केकडी, जिला अजमेर स्थित पट्टा नं0 25 की सम्पति जिसका क्षैत्रफल 80.01 वर्गगज है, जो श्रीमती कमला पत्नि छोटु लाल भाम्बी के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner